

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक विभाग

क्रमांक: प.21(2)न्याय/64/पार्ट

जयपुर, दिनांक 25 AUG 2020

अधिसूचना

एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एक्ट (1963 के अधिनियम संख्या 45) की धारा 3(1) व ऑफिशियल ट्रस्टी एक्ट (1963 के अधिनियम संख्या-2) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री पुरुषोत्तम लाल सैनी, संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को दिनांक 05.08.2020 से एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एवं ऑफिशियल ट्रस्टी, राजस्थान जयपुर के पद पर उनके वर्तमान पद के कार्य के अतिरिक्त नियुक्त करती है। इन्हें रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये) मात्र प्रतिमाह विशेष वेतन उक्त अतिरिक्त कार्य के लिये देय होगा।

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23.05.2018 को निष्प्रभावी किया जाता है।

आज्ञा से

१२

(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर शहर जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. श्री पुरुषोत्तम लाल सैनी, संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
8. पीठासीन अधिकारी, ए.जी.ओ.टी. राजस्थान, जयपुर।
9. प्रोगामर, विधि विभाग की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड व राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव

25/8/2020